न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ललित मीणा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 12/2022

जीसीएमएस नम्बर:–2022/82

1. राजकुमार पुत्र दाउजी जाति गुर्जर उम्र 32 वर्ष निवासी सिजरौली बरैठा तहसील मंनिया जिला धौलपुर (राज0) ———— ————————प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मंनिया जिला धौलपुर राज0।
2. इमलेश पुत्री दाउजी पत्नि विरेन्द्र सिंह जाति गुर्जर निवासी वीरा का पुरा भरापुरा फतेहाबाद आगरा(यू0पी)।
3. प्रधुम्न पुत्र दाउजी । जातिगण गुर्जर निवासीगण ग्राम सिजरौली बैरठा तहसील
4. राकेश पुत्र दाउजी । मंनिया जिला धौलपुर राज0।
5. रामकेश पत्रु दाउजी ।
6. मंजेश पुत्री दाउजी पत्नि शिवकुमार निवासी सुजान गली कुलीशान मौहल्ला भकिडेश्वर बाजरा मुरैना एम0पी।
7. कप्तान सिंह पुत्र हरीसिंह । जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम सिजरौली बरैठा
8. करतार सिंह पुत्र हरीसिंह । तहसील मंनिया जिला धौलपुर राज0।
9. कलावती पत्नि रघुनाथ सिंह ।
10. रामवती पत्नि गंभीर सिंह ।
11. रामगोपाल पुत्र गंभीर सिंह ।
12. रामनाथ पुत्र गंभीर सिंह ।
13. ब्रजेश पत्नि मंडलेश्वर ।
14. आशुतोष पुत्र मंडलेश्वर ।
15. तनु पुत्री मंडलेश्वर सरपरस्ती मां बृजेश पत्नि स्व0 मंडलेश्वर।
16. गीता पुत्री गंभीर सिंह पत्नि योगेन्द्र सिंह निवासी सैंया आगरा।
17. मनोरमा पुत्री गंभीर सिंह पत्नि केशव सिंह गुर्जर निवासी नैनागढ रोड सिद्व नगर कॉलोनी मुरैना।

———– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड बावत अन्तर्गत धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थिति:– श्री भोलाराम यादव, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
श्री योगेश शर्मा, एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 17 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

Scanned with AnyScanner

का नाम बन्टू के स्थान पर राजकुमार शुद्ध किया गया है। जमाबंदी संवत 2070–73 बांके ग्राम सिजरौली में नामा० संख्या 823 दिनांक 20.09.2018 से शुद्धि बन्टू पुत्र दाउजी के स्थान पर राजकुमार पुत्र दाउजी शुद्धि किया गया है परन्तु खसरा नम्बर 111 पर सहवन से शुद्धि इन्द्राज नही किया गया है एवं वादी के समस्त दस्तावेज राजकुमार नाम से है तथा बन्टू घर का नाम है जो घर वाले बचपन में पुकारते थे। राजकुमार उर्फ बन्टू एक ही व्यक्ति बताया है।

बहस वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने बन्टू के स्थान पर राजकुमार नाम अंकित करने की सहमति जाहिर की गई। तहसीलदार मंनिया की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया, ग्राम पंचायत बरैठा की ओर से जारी सिजरा प्रमाण–पत्र का अवलोकन किया। अवलोकन करने के पश्चात हम तहसीलदार मनियां की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 111 व हिस्सा 0.4426 हैक्टेयर बांके राजस्व ग्राम सिजरौली पटवार हल्का बरैठा तहसील मंनिया जिला धौलपुर में बन्टू के स्थान पर बन्टू उर्फ राजकुमार अंकित किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 111 व हिस्सा 0.4426 हैक्टेयर बांके राजस्व ग्राम सिजरौली पटवार हल्का बरैठा तहसील मंनिया जिला धौलपुर में बन्टू के स्थान पर बन्टू उर्फ राजकुमार अंकित किया जावें। तहसीलदार मंनिया को पालना हेतु परवाना जारी हो।

आदेश आज दिनांक 21.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ललित मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज०)